जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
87/2016
A3

मुन्तकिली प्रकरण सं0 87/2016 अनवानी श्री साधुसिंह पुत्र श्री गुरबक्श सिंह जाति जटसिख निवासी चक 1 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर बनाम 1–श्री जीत सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाति जर्टसिख निवासी चक महाराज का तहसील व जिला श्री गंगानगर 2– स्टेट ऑफ राज0 जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16.11.2016

प्रार्थी श्री साधुसिंह के अभिभाषक श्री सुरेन्द्र सिंह भनोत उपस्थित है उनके द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी श्री जीतसिंह के अभिभाषक श्री गुरदास सिंह ढिल्लों उपस्थित है। दोनो पक्षो के अभिभाषकगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अभिभाषक श्री सुरेन्द्र सिंह भनोत का कथन है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर में लम्बित प्रकरण संख्या 812/2016 अनवानी जीत सिंह बनाम साधू सिंह धारा 251(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है इसलिए प्रार्थी प्रकरण में आगे कोई कार्रवाई नही चाहता है अर्थात नॉट प्रैस करता है। इस संबंध में लिखित में प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत कर दिया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

अप्रार्थी के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है।

मैने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर में लम्बित प्रकरण संख्या 812/2016 अनवानी जीत सिंह बनाम साधू सिंह धारा 251(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि प्रार्थी अब पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने के कारण प्रकरण में आगे कोई कार्रवाई नही चाहता है अर्थात नॉट प्रैस करता है। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा लिखित में प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है। इसलिएः मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज करने योग्य है।

1973
13/11/16

चूंकि प्रार्थी ने अब लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि वह प्रकरण में आगे कोई कार्रवाई नही चाहता है। इसलिए इसी आधार पर प्रार्थी का यह मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 16.11.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर